न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 89/2015

1 राजू पुत्र श्योकरण
2 महेन्द्र पुत्र श्योकरण
3 धर्मवीर पुत्र श्योकरण
4 उमराव पुत्र झुथा
5 मु. विद्या पुत्री स्व. श्योकरण व स्व. श्रीमती फुला
6 मु. सुरेश पुत्री स्व. श्योकरण व स्व. श्रीमती फुला
जाति समस्त अहीर निवासीगण दलोता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.
।

अपीलांटस

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राजस्व लोक अदालत/कोर्ट
कैम्प ठाठवाड़ी राजस्व वाद उनवानी राजस्थान सरकार
बनाम फुला वगै. अ.धारा 177 आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं.
21/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2015

उपस्थिति :
1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (जिला झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 11/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 21/2014 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी ने एक दावा अ. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 76 वाके ग्राम दलौता का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की है। अपीलान्टस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्टस को साक्ष्य सबूत पेश करने के अवसर से वंचित रखा गया है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के दावा को कैम्प कोर्ट ठाठवाड़ी में निर्णित किया है। कैम्प कोर्ट की सूचना विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट संख्या 1 से 4 को तथा अभिभाषक को नहीं दी थी। अपीलान्ट संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गलत रूप से निर्णय जैर बहस में विचारण न्यायालय ने की है। दावा में विचारण न्यायालय के यहां तारीख पेशी सुनवाई हेतु दिनांक 13.07.2015 नियम थी। नियत तिथि से पूर्व मिसल तलब कर दिनांक 05.06.2015 को विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से अवैध प्रक्रिया अपनाकर बिना सूचना के एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के यहां पत्रावली प्रतिवादी नम्बर 1 के कायम मुकाम की कार्यवाही के लिये दिनांक 07.05.2014 से लंबित रही। प्रतिवादी नम्बर 1 फुलादेवी के वारिस अपीलान्ट संख्या 1 से 3 (प्रतिवादी संख्या 2 से 4) के अलावा अपीलान्ट संख्या 5 से 6 भी है। अपीलान्ट संख्या 5 व 6 को बिना पक्षकार बनाये विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 के वारिस केवल मात्र अपीलान्ट संख्या 1 से 3 को मानकर निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भूल की है। कानून से रेस्पोडेन्ट का दावा अबेट हो चुका था। अन्दर मियाद 30 रोज मृतक प्रतिवादी नम्बर 1 के वारिसान को रेस्पोडेन्ट ने रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही बावजूद जानकारी नहीं की थी। अबेटमेंट अपास्त करने की मियाद भी गुजर चुकी थी। विचारण न्यायालय ने आदेश 22 जा.दी. के प्रावधानों को नजदअंदाज कर निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है जो काबिले खारिज है। रेस्पोडेन्ट की प्लींडिग मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं हुई है। पटवारी हल्का अथवा अन्य कोई खेत पड़ौसी अथवा कोई स्वतंत्र साक्षी रेस्पोडेन्ट की तरफ से विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया जो कि यह साबित करे कि किस्म जमीन बदली गई है। प्रकरण में स्वयं रेस्पोडेन्ट भी बतौर साक्षी विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ। विचारण न्यायालय ने प्लींडिग से हटकर अनुतोष प्रदान किया है। रेस्पोडेन्ट की यह प्लींडिग रही है कि जमीन खसरा नम्बर 76 रकबा 1.65 हैक्टेयर में से 0.20 हैक्टेयर भूमि में अवैध खनन किया गया है जबकि विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण रकबा की खातेदारी को खत्म कर दिया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने कानूनी गलती की है। अपीलान्ट संख्या 5 व 6 दावा की प्रतिवादिया संख्या 1 की वारिस पुत्रियां होने से है। अपीलान्ट संख्या 5 व 6 को विचारण न्यायालय ने दावा में पक्षकार नहीं बनाया और सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट संख्या 5 व 6 निर्णय व डिक्री जैर बहस से प्रभावित है और अपील प्रस्तुत करने का हक रखती है। ऐसी सूरत में अपीलान्ट संख्या 5 व 6 को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना उचित व आवश्यक है। इजाजत हेतु दफा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में विवादित भूमि खसरा नम्बर 798 वाके ग्राम बागोली में मौके पर खनन किया हुआ है। मौके पर खनन किया हुआ पाया गया तथा जमीन उबड़ खाबड़ व लगभग 20–25 फीट के खड्डे बने हुये है। उक्त खसरा नम्बर को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है। खातेदारान द्वारा बिना भू–रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान काश्तकारी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिनियम 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरित है। भूमि का इस प्रकार अवैध रूप से बजरी दोहन हेतु उपयोग कृषि प्रयोज्य रकबे को कम करेगा तथा भूमि के स्वरूप में असंतुलित परिवर्तन करेगा। खातेदार द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण में निम्नलिखित विधिक त्रुटियां पाई गई है।

1 प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा तामील की प्रकिया विधि सम्मत तरीके से संपादित नहीं की गई है।

2 प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विवाद बिन्दु कायम नहीं किये गये है।

3 विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के निस्तारण के लिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये है।

4 पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय निम्न विधिक बिन्दुओं की पालना नहीं की गई है।

(अ) स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये है।
(ब) पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है। इसके अभाव में खनन की गई भूमि के रकबे का आंकलन नहीं हो सकता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(स) खनन की गई भूमि के फोटोग्राफ / गुगल मेप भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है।

5 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत कृषि भूमि में खनन किये गये तत्व(खनिज) का पंचनामा तैयार नहीं किया गया है, जो कि माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया जाना होता है, ना ही पक्षकारों को शास्ति का नोटिस दिया गया।

6 पत्रावली पर खनन किये गये खनिज की जब्ती की फर्द तैयार नहीं की गई है।

7 खनन के संदर्भ में खान विभाग को सूचना दिये जाने का दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

8 अवैध खनन के संदर्भ में माईनिंग विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से पंचनामा तैयार करवाकर भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 के तहत प्रभावी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। निर्णय में विवेचित अन्य बिन्दुओं की भी पालना कर संपूर्ण तथ्यों को पुनः निर्णय पारित करने से पूर्व पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विधिक प्रकिया अनुसार विचारण न्यायालय को किसी भी खातेदार की खातेदारी समाप्त करने से पूर्व तहसीलदार भूमिधारक से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर विधिक प्रकिया की पालना कर निर्णय पारित करना चाहिए। विचारण न्यायालय ने उक्त विधिक बिन्दुओं की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय का इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि निर्णय में विवेचित बिन्दुओं की आवश्यक रूप से पालना कर, अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय आगामी दो माह में आवश्यक रूप से पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 11/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर